

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-43 / 2013 / चित्तौड़.
(सम्बन्धित अपील संख्या-2045 / 2011 / चित्तौड़)
2. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-44 / 2013 / चित्तौड़.
(सम्बन्धित अपील संख्या-2046 / 2011 / चित्तौड़)
3. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-45 / 2013 / चित्तौड़.
(सम्बन्धित अपील संख्या-2047 / 2011 / चित्तौड़)
4. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-46 / 2013 / चित्तौड़.
(सम्बन्धित अपील संख्या-2048 / 2011 / चित्तौड़)
5. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-47 / 2013 / चित्तौड़.
(सम्बन्धित अपील संख्या-2049 / 2011 / चित्तौड़)

मैसर्स लक्ष्मीलाल शर्मा मातृकुण्डिया, चित्तौड़गढ़.प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.अप्रार्थी.

6. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-48 / 2013 / चित्तौड़.
(सम्बन्धित अपील संख्या-2050 / 2011 / चित्तौड़)

मैसर्स नन्दलाल शर्मा मातृकुण्डिया, चित्तौड़गढ़.प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषकप्रार्थीगण की ओर से.


श्री एन. एस. राठौड़,
उप-राजकीय अभिभाषकअप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25 / 3 / 2014

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा ये छः परिशोधन प्रार्थना-पत्र राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या क्रमशः 2045 / 2011; 2046 / 2011; 2047 / 2011; 2048 / 2011; 2049 / 2011 एवं 2050 / 2011 में समन्वयपीठ (खण्डपीठ) द्वारा पारित किये गये पृथक-पृथक निर्णय दिनांक 25.2.2013 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। सभी छः प्रार्थना-पत्रों में सदृश बिन्दु अन्तर्वलित हैं, अतः सभी प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ठेकेदारों ने राज्य सरकार की मनरेगा योजना के तहत निर्माण कार्यों का ठेका लिया है। इन ठेकों में जारी 'जी' शिड्यूल के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने माल सप्लाई को



 लगातार.....2

करार मानते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में इन्कार करने तथा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने पर कर बोर्ड की खण्डपीठ के समक्ष चुनौती दी गई। समन्वयपीठ ने सभी अपीलों में पृथक-पृथक पारित किये गये निर्णय दिनांक 25.2.2013 में 'जी' शिड्यूल व जारी कार्यादेश के विश्लेषण के बाद प्रार्थी के करारों को माल सप्लाई का पाते हुए निचली अदालतों के आदेशों की पुष्टि कर अपीलों अस्वीकार की गई। इन निर्णयों में रेकॉर्ड पर उपलब्ध भूल परिलक्षित होना मानकर ये परिशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।



उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि खण्डपीठ ने निर्णय में संबंधित 'जी' शिड्यूल को समग्रता में विचारित नहीं करके केवल उसके पार्ट-'ए' व 'बी' को बताते हुए कार्य संविदा नहीं मानकर माल सप्लाई करना निर्णीत किया है, जबकि प्रकरण में तथ्य यह है कि अपीलार्थी द्वारा माल सप्लाई नहीं किया गया है, बल्कि माल को 'जी' शिड्यूल में स्पेशिफिकेशन के अनुसार प्रयुक्त किया है, जिसका प्रमाण-पत्र अधिशाषी अभियंता द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में इन्कार कर भारी भूल की गई है।

अग्रिम कथन किया कि कर बोर्ड की ही विभिन्न पीठों में अपील संख्या 2391/2010 से 2308/2010/चित्तौड़गढ़ में निर्णय दिनांक 23.2.2012 में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.6.2009 के अन्तर्गत करमुक्ति प्रमाण-पत्र के लिये ठेकेदारों को पात्र निर्णीत किया है। इन प्रकरणों में भी अपीलार्थी कर मुक्ति प्रमाण-पत्र के लिये पात्र है। समान तथ्यों वाले प्रकरणों में भी अपील संख्या 1154/2011 से 1159/2011/चित्तौड़गढ़ दिनांक 27.2.2012 में अपीलार्थियों को पात्र माना गया है। ये निर्णय वक्त सुनवाई प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर विचार नहीं किया गया, जो कि रेकॉर्ड पर उपलब्ध भूल की श्रेणी में आता है।

अग्रिम कथन किया कि निर्णयों के पेज 4 में माल के प्रयुक्त होना बताया है, लेकिन आगे निर्णय में माल सप्लाई के आधार पर कर मुक्ति प्रमाण-पत्र के लिये योग्य नहीं होना निर्णीत किया है, यह भी रेकॉर्ड से परिलक्षित भूल है। निर्णय में यह अंकित किया गया है कि 'जी' शिड्यूल की शर्तों के अनुसार केवल माल सप्लाई का कार्य दिया गया है, कार्य संविदा का नहीं है। निर्णय में

लगातार.....3




यह भी अंकित किया गया है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य किया जाना है तथा 'जी' शिड्यूल में वर्णित माल प्रयुक्त करना है। इस प्रकार 'जी' शिड्यूल व अधिशाषी अभियंता के प्रमाण-पत्रों को पढ़ने में त्रुटि की गई है। इनमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ठेकेदार को कार्य संपूरित किये जाने का कार्य दिया गया है, जिसमें अकुशल कारीगरों द्वारा गड्ढे खोदने का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, बाकी सभी कार्यों में माल के प्रयुक्त के साथ लगाये गये श्रमिक, निर्माण पर प्लास्टर करना, लेवल करना आदि समस्त कार्य कार्य संविदा की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार खण्डपीठ के निर्णय में रेकॉर्ड पर उपलब्ध भूल को परिशोधित किया जाना आवश्यक है।

अन्त में कथन किया कि अधिनियम की धारा 33 अनुसार रेकॉर्ड पर उपलब्ध भूल में यह भी शामिल है कि वैध निर्णय पारित किये जाने के उपरान्त यदि माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय या कर बोर्ड के निर्णय को अवैध घोषित कर दिया गया हो। प्रस्तुत प्रकरणों में उद्धरित निर्णयों को विचारित नहीं किया गया है, इसलिए यह भूल रेकॉर्ड पर उपलब्ध परिलक्षित होने के कारण निर्णय को परिशोधित किये जाकर अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी की ओर से खण्डपीठ के निर्णयों में किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि नहीं होना बताते हुए कथन किया कि खण्डपीठ द्वारा सचेतन मस्तिष्क से निर्णय पारित किये गये हैं। अग्रिम कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 33 का कार्यक्षेत्र सीमित है, जिसमें तथ्यों को पुनः विश्लेषित करना शामिल नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 (SC) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड़ प्लास्टिक एजेंसीज को उद्धरित किया है तथा निवेदन किया है कि परिशोधन प्रार्थना-पत्र खारिज किये जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पारित निर्णयों एवं अपील पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या 44/2013/चित्तौड़ (अपील संख्या 2046/2011/चित्तौड़) से सम्बन्धित प्रकरण में पारित निर्णय में 'जी' शिड्यूल के साथ शर्तें अंकित नहीं होने के कारण प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।



लगातार.....4

—: 4 :- 1-6. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-43, 44, 45, 46, 47 व 48/2013/चित्तौड़.

परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या 43/13, 45/13 46/13 47/13 व 48/13/चित्तौड़ (अपील संख्या क्रमशः 2045/11, 2047/11, 2048/11, 2049/11 व 2050/2011/चित्तौड़) से सम्बन्धित प्रकरणों में पारित निर्णयों में विवादित 'जी' शिड्यूल को उद्धरित करते हुए विहित शर्तों के अनुसार ही संविदा केवल माल सप्लाय से सम्बन्धित होने के कारण अपीलार्थी को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 अनुसार करमुक्ति हेतु पात्र नहीं होना निर्णीत किया गया है।

परिशोधन के समय प्रस्तुत निर्णयों का अवलोकन किया गया, जिसमें या तो 'जी' शिड्यूल को उद्धरित ही नहीं किया गया है या वे शर्तें अंकित नहीं की गई है। इसलिए ये निर्णय प्रस्तुत अपीलों में प्रासंगिक नहीं हैं, जिनके आधार पर पारित निर्णय परिशोधित नहीं किये जा सकते। वेट अधिनियम की धारा 33 के विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 (SC) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड़ प्लास्टिक एजेंसीज में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :-

14. The scope and ambit of the power which could be exercised under Section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.



15.

16.

17.

18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent

लगातार.....5





—: 5 :- 1-6. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-43, 44, 45, 46, 47 व 48/2013/चित्तौड़.

for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.

उक्त आधार पर पारित निर्णयों में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(अमर सिंह) 25-3-14
सदस्य


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
25/3/14